



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 51(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड, (i) तारीख 15 अक्टूबर, 2015, को प्रकाशित कॉरपोरेट मंत्रालय अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के सामने प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) सुश्री ज़ोया हडके,
अपर सचिव
विधि कार्य विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

पीठासीन अधिकारी”।

[फा. सं. 2/4/2015-पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड, (i) सा.का.नि. 787(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 857(अ), तारीख 16 नवंबर, 2015, सा.का.नि. 498(अ), तारीख 11 मई, 2016, सा.का.नि. 922(अ), तारीख 28, सितंबर, 2016, सा.का.नि. 1074(अ), तारीख 17 नवंबर, 2016 और सा.का.नि. 391(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2017 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2019

G.S.R. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs notification number G.S.R 787(E), dated the 15th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th October, 2015, namely:—

2. In the said notification, for the entry against serial number (i), the following shall be substituted, namely:—

“(i). Ms. Zoya Hadke,
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Ministry of Law and Justice,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Presiding Officer”.

[F. No. 2/4/2015-PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. No. 787(E), dated 15th October, 2015 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 857(E), dated 16th November, 2015, G.S.R. No. 498(E), dated 11th May, 2016, G.S.R. 922(E), dated 28th September, 2016, G.S.R. No. 1074(E), dated 17th November, 2016 and G.S.R. 391(E), dated 19th April, 2017.